<u>राजस्थान–सरकार</u>

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

<u>पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 166 / 2020

बउनवान

जितेन्द्र पुत्र नवलकिशोर धाकड़ निवासी ग्राम बिन्दाराडा तहसील छबड़ा जिला बाराँ (राज.)
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बाराँ
(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री ललित कुमार नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 16.07.2020</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1044 / 2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 02.03.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम रींछडा की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 110 / 2 की रकबा 1 बिस्वा भूमि पर बाडा बनाया जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 3 / – रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 14.7.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली इस न्यायालय के पत्रांक / रीडर II / 2020 / 578 दिनांक 14.7.2020 से तलब की गई। जो अधीनस्थ न्यायालय से आगामी नियत पेशी दिनांक तक प्राप्त नहीं होने पर अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को हीं आधार मानकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली में अपीलांट का बेदखलीनामा शामिल नहीं किया गया है तथा अतिक्रमण वाली आराजी की पैमाईश भी नहीं की है और न हीं पैमाईश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है तथा कोई स्वतंत्र गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नहीं लिये केवल पटवारी हल्का के बयानों को आधार मानकर अपीलांट को सजायाब करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 2.3.2020 निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा क्योंकि अपीलांट ने तावान की राशि भी जमा करवा दी है तथा अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा उक्त आराजी खाली पड़ी हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.3.2020 की जानकारी अपीलांट को 10.7.2020 को पुलिस वाले गांव में जाने व अपीलांट की तलाश करने पर हुई तब अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 13.7.2020 को मिली इसलिये निर्णय दिनांक 2.3.2020 से जानकारी दिनांक 10.7.2020 तक का समय अपील की अवधि में से मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 2.3.2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जावें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर बाडा बनाया जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2075 मे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली नियत पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में नहीं भिजवायी गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1044/2020 में अन्तर्गत एल. आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 2.3.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे कि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम रींछड़ा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 110/2 की रकबा 1 बिस्वा भूमि किस्म सिवायचक पर बाडा बनाया जाकर किया गया अतिक्रमण नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1044/2020 मे पारित आदेश दिनांक 2.3.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.3.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2020 को इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ